न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी : बीनू देवल(आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या : 13/2025 (2025/29)

अनवान

1. जगदीशचन्द्र आत्मज जयशंकर ब्राहम्ण नि.सेगवा तह. एंव जिला चित्तौडगढ

—वादी

बनाम

2. श्री बाबूलाल आत्मज जयशंकर ब्राहम्ण नि.सेगवा तह.व जिला चित्तौडगढ
3. श्रीमती मधु पत्नी देवनारायण ब्राहमण नि.सेगवा तह.व जिला चित्तौडगढ
4. श्री नवीन आत्मज देवनारायण ब्राहमण नि.सेगवा तह.व जिला चित्तौडगढ
5. श्रीमती संतरा देवी पत्नी सुनील शर्मा नि.सेगवा तह.व जिला चित्तौडगढ
6. तहसीलदार चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ

—प्रतिवादीगण

कार्यवाही : 53—88—188 आर.टी.ए.

उपस्थिति : श्री छोगालाल जाट अधिवक्ता वादी

श्री संजय मौड अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 से 03

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 10 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 जा.दी.</u>

निर्णय दिनांक 05/05/26

संक्षिप्त विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण ने विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र अर्न्तगत धारा 53—88—188 आर.टी.ए. का ग्राम सेगवा तहसील चित्तौडगढ की खाता संख्या 62 , 232, 145, 138, 144 मे वर्णित आराजीयात. के सम्बन्ध मे प्रस्तुत किया जैर बहस अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 से 03 ने प्रार्थना पत्र आदेश 10 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 जा.दी. इस आशय का प्रस्तुत किया किया कि वादी ने ग्राम सेगवा तहसील चित्तौडगढ की सयुंक्त खातेदारी कब्जेयाबी की कृषि आराजीयात का कथन करते हुए खाता नम्बर 62, 232, 145, 138 मे वर्णित भूमि पैतृक कृषिभूमि बताकर खाता नम्बर 144 वादी एंव प्रतिवादीगण ने संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के पति एंव पिता के नाम से क्रय की गई संयुक्त

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ (राज.)

हिन्दू परिवार की भूमि का कथन कर 02.08.2007 को आपसी याददाश्त पारिवारिक बटंवाडा विलेख को आधार बनाकर अन रजिस्टर्ड स्टाम्प के माध्यम से वाद पत्र खातेदारी घोषणा का पेश किया जो वर्तमान मे विचारणीय है। आपसी पारिवारिक बंटवाडा लिखा गया वो आराजी नम्बर 150, 151, 153 का 1/2 भाग आराजी नम्बर 125, 128, 133, 129, 56, 163, 171, 152 किता 08 कुल रकबा 1.15 हे. उक्त आराजीयात के संबंध में 28.03.2018 को वादी जगदीश पिता जयशंकर ब्राहमण ने वाद पत्र प्रस्तुत किया जिसमें बाबूलाल पिता जयशंकर , मधु पत्नी देवनारायण , नवीन पिता देवनारायण ब्राहमण को प्रतिवादी पक्षकार संयोजित किया है। जिसमें वाद पत्र का मुख्य आधार 20.07.2007 को स्टाम्प जो फेमेली सेटलमेंट को आधार बनाकर अपंजिकृत के आधार पर खातेदारी घोषणा चाही ।

वादी जगदीश पिता जयशंकर ब्राहमण ने उक्त अपंजिकृत दस्तावेज 20.07.2007 को आधार बनाकर इन्ही पक्षकारो को श्रीमान न्यायालय में प्रतिवादी पक्षकार संयोजित किया है व वाद के विषयवस्तु खरसरा नम्बर का प्रस्तुत कर रखा है तथा इन्ही पक्षकार व इसी दस्तावेज के आधार पर एक वाद पत्र माननीय सिविल न्यायाधीश महोदय चित्तौडगढ के प्रकरण संख्या 63/2018 सीएम मुल वाद संख्या 92/18 सीओ को पेश कर रखा है जो वाद बाबत् आदेशात्मक व्यादेश एंव स्थाई निषेधाज्ञा का होकर वर्तमान में विचाराधीन है। उक्त दोनो वाद एक ही वाद विषय वस्तु होने से श्रीमान् न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को इसी स्टेज पर रोका जाना आवश्यक व न्यायोचित है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद को अस्वीकार करने के प्श्चात वादीगण ने सक्षम सिविल न्यायालय में उक्त अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर वाद प्रस्तुत कर दिया है जिसकी प्रति न्यायालय आप में मौजूद है तदनुसार एक ही अनुतोष के लिए समानान्तर राजस्व वाद पोषणीय नही है । वादी राजस्व न्यायालय मे अपंजिकृत दस्तावेज के आधार पर चुनौति नही दे सकते है। राजस्व न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की तृतीय सूची में प्रावधानिक वाद ही संधारण योग्य होते है। जैसा कि धारा 207 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रावधानिक किया है। ऐसी स्थिति मे

आराजी जेर के संबंध में सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही है। अन्त मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी द्वारा अपंजिकृत दस्तावेज पर प्रस्तुत वाद इसी स्टेज पर खारीज किये जाने का आदेश फरमाया जाने का निवेदन किया।

इसके विपरित अधिवक्ता वादी ने जवाब इस आशय का पेश किया कि ग्राम सेगवा की कृषि आराजीयात खाता नम्बर 62, 232, 145, 138 के सम्बन्ध वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी में विरासत से प्राप्त हुई है। खाता संख्या 144 में दर्ज आराजीयात वादी व प्रतिवादीगण ने संयुक्त परिवार की आय से प्रतिवादी 2 व 3 के पति व पिता के नाम से क्रय की हो पूर्णतया गलत है। सिविल न्यायालय चित्तौडगढ के प्रकरण संख्या 63/2018 व मूल वाद 92/18 सीओ होना स्वीकार है परन्तु उक्त वाद पत्र आदेशात्मक आज्ञा व स्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित है। ऐसी स्थिति मे घोषणा का दावा किसी भी प्रकार से पश्चातवृत्ति वाद नही माना जा सकता है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र न्यायालय आपके क्षेत्राधिकार का है। अन्त मे जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाने की इस्तदुआ की।

पत्रावली नियत दिनांक को न्यायालय के समक्ष बहस प्रार्थना पत्र धारा 10 सीपीसी हेतू पेश हुई। बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा की गई। अधिवक्ता प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए आपत्ति उठाई की वादी का वाद पत्र अपंजिकृत दस्तावेज 20.07.2007 को आधार बनाकर इन्ही पक्षकारो को श्रीमान न्यायालय में प्रतिवादी पक्षकार संयोजित किया है व वाद के विषयवस्तु खसरा नम्बर का प्रस्तुत कर रखा है तथा इन्ही पक्षकार व इसी दस्तावेज के आधार पर एक वाद पत्र माननीय सिविल न्यायाधीश महोदय चित्तौडगढ के प्रकरण संख्या 63/2018 सीएम मुल वाद संख्या 92/18 सीओ को पेश कर रखा है जो वाद बाबत् आदेशात्मक व्यादेश एंव स्थाई निषेधाज्ञा का होकर वर्तमान में विचाराधीन है। उक्त दोनो वाद एक ही वाद विषय वस्तु होने से श्रीमान् न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को इसी स्टेज पर रोका जाना आवश्यक व न्यायोचित है एंव अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर चुनौति राजस्व न्यायालय मे नही दी

(हीरू लाल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

जा सकती है ऐसी स्थिति मे वादी का वाद पत्र क्षेत्राधिकार के आधार पर भी राजस्व न्यायालय मे विचारण करने योग्य नही होने से वादी का वाद खारीज किया जाने का निवेदन किया। इसके विपरित अधिवक्ता वादी ने वक्त बहस निवेदन किया कि वादी का वाद पत्र अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर होने का तथ्य गलत है इसके साथ ही सिविल न्यायालय चित्तौडगढ मे लम्बित प्रकरणो अनुतोष अलग है और राजस्व न्यायालय मे लम्बित वाद पत्र का अनुतोष अलग है। ऐसी सूरत मे जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाने का निवदेन किया।

हमने पत्रावली एंव प्रार्थना पत्र धारा 10 सीपीसी एंव सलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन कर अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर चिन्तन व मनन किया । उभयपक्षकारान की बहस सुनने के पश्चात न्यायालय के समक्ष यह स्थिति दर्शित होती है कि मुख्य आपत्ति का बिन्दू यह रहा है कि वादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध मे दावा सिविल कोर्ट मे विचाराधीन है जो समान पक्षकार व समान आराजीयात एंव समान विषय वस्तु से सम्बन्धित है। उक्त वाद के विचाराधीन रहते हुए हस्तगत वाद पत्र की कार्यवाही को समाप्त करने का निवेदन अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से रहा है। उक्त आपत्ति का खण्डन अधिवक्ता वादी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र मे किया है। गौरतलब है कि वाद पत्र के अभिवचनो मे यह विदित हुआ है कि वाद का मुख्य आधार 20.07.2007 का स्टाम्प जो फेमेली सेटलमेंट को आधार बनाकर अपंजिकृत के आधार पर खातेदारी घोषणा चाही है।

जबकि गौरतलब है कि हस्तगत वाद पत्र मे वर्णित पक्षकारो के मध्य एक वाद पत्र माननीय सिविल न्यायाधीश महोदय चित्तौडगढ के प्रकरण संख्या 63/2018 सीएम मूल वाद संख्या 92/2018 सीओ पेश कर रखा है । जो कि समान पक्षकार समान वाद विषयवस्तु खसरा नम्बर का प्रस्तुत कर रखा है । उक्त वाद पत्र भी पारिवारिक बटवांडा को आधार बनाकर समान आराजीयात के समबन्ध मे अनुतोष चाहा है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कलेक्टर, चित्तौडगढ़ जिला चित्तौडगढ़ सत्यमेव जयते

(बीनू देवल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ़ (राज.)

ऐसी विधिक स्थिति मे जब समान पक्षकारो एंव समान विषय वस्तु के सम्बन्ध मे वाद सिविल न्यायालय मे विचाराधीन रहते हुए हस्तगत वाद पत्र मे आगामी कार्यवाहीयाँ किया जाना प्रार्थना पत्र धारा 10 सीपीसी के प्रावधानो के तहत उचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवचेना के आधार पर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र धारा 10 सीपीसी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वादी के वाद पत्र की आगामी समस्त कार्यवाहीयाँ इसी स्तर पर स्थगित किए जाने के आदेश दिए जाते है।

आदेश विवृत्त न्यायालय मे सुनाया गया।

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)